पंचदश माला, खंड 35, अंक 17

सोमवार, 2 सितम्बर, 2013
11 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 35 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

एस. बालशेखर
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

वंदना त्रिवेदी
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496**) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पंचदश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)

अंक 17, सोमवार, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
महासचिव (श्री टी.के. विश्वानाथन) द्वारा पद त्याग और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति	1
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही-सारांश	2
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	3
(दो) आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाकर अन्य राज्यों में प्रदत्त वेतन के समान किये जाने की आवश्यकता	
श्री पोन्नम प्रभाकर	3-4
(तीन) उत्तराखंड में लोक-निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण और मरम्मत हेतु अपेक्षित समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	4-5
(चार) केरल में अंगमाली-सबरी रेल लाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	5
(पांच) अजमेर-एर्नाकुलम मरूसागर एक्सप्रेस ट्रेन में विषाक्त भोजन परोसने के लिए जिम्मेदार अभिकरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने और स्वास्थ्यकर भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. पीताम्बर कुरूप	5-6
(छह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल संरक्षण योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. संजय सिंह	6-7
(सात) गुजरात में मेहसाणा और तारंगा के बीच रेल लाइनों का आमान-परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	7
(आठ) पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार में हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12523/24) का ठहराव दिये जाने आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव	7-8

(नौ) तमिलनाडु में सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए और अधिक केन्द्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन 8

(दस) ओडिशा में कंधमाल जिले के विकास हेतु व्यापक योजना बनाए जाने तथा राज्य में बरहामपुर और फुलबनी के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने की भी आवश्यकता

श्री रूद्रमाधव राय 9

(ग्यारह) बृज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले बृज पर्यटन सर्किट को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी 9–10

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 10–11

खंड 1 11

संशोधन-सहमति हुई 11

नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन 12–13

अध्यक्ष पीठ द्वारा टिप्पणी 13

सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन 13–14

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री सतपाल महाराज

श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

लोक सभा

सोमवार, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

महासचिव (श्री टी.के. विश्वानाथन) द्वारा पद त्याग और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री टी.के. विश्वानाथन ने 31 अगस्त, 2013 को लोक सभा के महासचिव का पद त्याग दिया है। श्री विश्वानाथन, जिन्हें 1 अक्तूबर, 2010 को प्रथम बार लोक सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था, को संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान है जिससे सभा की कार्यवाही के सुचारु संचालन में पीठासीन अधिकारियों और सभापति तालिका के सदस्यों को काफी सहायता मिली।

श्री विश्वानाथन ने सार्क देशों की संसदों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ के पांचवें सम्मेलन, अंतर-संसदीय संघ के क्षेत्रीय सम्मेलन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सेमिनार तथा संसदों की महिला अध्यक्षों की सातवीं बैठक और लोक सभा की पहली बैठक की साठवीं वर्षगांठ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया।

श्री विश्वानाथन ने संसद भवन के पारम्परिक स्वरूप को बनाए रखने की ओर विशेष ध्यान दिया।

उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि श्री विश्वानाथन को सभा के मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैं अपनी और माननीय सदस्यों की ओर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले वर्षों में उनकी सफलता की कामना करती हूं।

माननीय सदस्यो, श्री एस.बाल शेखर, सचिव, लोक सभा सचिवालय कुछ समय के लिए महासचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 23 अगस्त, 2013 को हुई 10वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री के.नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

इस समय, श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) **:** मैंने कार्य-स्थगन के लिए नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*। पूरी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए और इस महान सदन में बोडोलैण्ड के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गयी है, वे यदि इन मामलों को, सभा-पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो, वे स्वयं बीस मिनट के अंदर सभा-पटल पर पर्ची रख दें।

*सभा-पटल पर रखे माने गये।

केवल वही मामले सभा-पटल पर रखे माने जाएंगे, जिसकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा-पटल पर रख दी गयी हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...(व्यवधान)

(एक) मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) **:** मेरे संसदीय क्षेत्र देवास (म.प्र.) में विगत 2-3 वर्ष पूर्व केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि मद से लगभग 8-9 सड़कें मंजूर की गई थीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवास जिले और शाजापुर के लिए स्वीकृत इन सड़कों का निर्माण न करते हुए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर दिया गया इसलिए मुझे इन्दौर उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. लगानी पड़ी जिनके प्रत्युत्तर में उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार व भारत सरकार को निर्देश दिए कि इन सड़कों को पुन: स्वीकृत कर जनहित में शीघ्र निर्माण करवाया जाए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति एवं निर्देश जारी करे।

(दो) आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाकर अन्य राज्यों में प्रदत्त वेतन के समान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) **:** मैं आंध्रप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं के समग्र कल्याण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जैसा सरकार को भली-भांति विदित है कि आईसीडीएस के अंतर्गत देश भर में कुल 7073 परियोजनाएं हैं और आंध्र प्रदेश में 387 परियोजनाएं हैं। उनका कार्यसमय पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक है, लेकिन वे अपराह्न 3 बजे के बाद तक रुकते हैं क्योंकि बच्चों के माता-पिता कभी-कभी अपराह्न 4 बजे तक अपने कार्यस्थलों से लौटते हैं। उस कार्य के लिए उन्हें मात्र 3700 रुपए की राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जाता है और इसमें केंद्र का हिस्सा 3000/- रुपए प्रतिमाह तथा राज्य का हिस्सा 700/- रुपए प्रतिमाह होता है। वेतन की राशि वर्ष 2004 में 1500 रुपए थी, जिसे वर्ष 2009 में बढ़ाकर 3000 किया गया था और इसका श्रेय कांग्रेस तथा यूपीए सरकार को जाता है। वह 80% बीपीएल सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन यह निराशाजनक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के समान भविष्य निधि तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जाते हैं। उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है और वर्तमान समय में नगरपालिकाओं सहित सभी जगह संविदा कर्मचारियों को भी भविष्य निधि सुविधा के साथ न्यूनतम 6000/- रुपए प्राप्त हो रहे हैं। भुगतान की तुलना के संबंध में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5600/- रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जाता है। पुदुचेरी में यह 15000/- रुपए है। इसका अर्थ यह है कि आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भुगतान काफी कम है तथा यह स्थिति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव है। यहां तक कि एमएनआरईजीएस कार्यकर्ता को भी प्रत्येक सौ दिन के लिए 15000/- से 20,000/- रुपए प्राप्त हो रहा है! अत: उक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि कर उन्हें अन्य राज्यों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन के समान करने के मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष मानकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

(तीन) उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग और सीमा संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण और मरम्मत हेतु अपेक्षित समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) **:** मैं सरकार का ध्यान आपदाग्रस्त उत्तराखण्ड राज्य में बी.आर.ओ. और लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य में सड़कें बह गई हैं और बी.आर.ओ. उनका निर्माण कर रहा है परंतु बी.आर.ओ. का कार्य संतोषजनक नहीं है! वह कछुए की रफ्तार से निर्माण कार्य कर रहा है। दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि चीन माणा बार्डर पर सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, ऐसे में बी.आर.ओ. द्वारा सड़क निर्माण कार्य में सुस्ती चिंता का विषय है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की गति भी अत्यंत धीमी है। वैसे भी आपदा के इस समय में स्थानीय निवासियों का जनजीवन सामान्य करने एवं किसी भी आपात समय में सेना को रसद पहुँचाने के लिए सड़क निर्माण शीघ्रता से आवश्यक है। इसी प्रकार आपदा में कार्य कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ दिया जाना चाहिए

जिससे उनके मनोबल में वृद्धि हो। मेरा यह भी अनुरोध है कि आपदा के कारण जो खच्चर मार्ग बह गए हैं उन्हें पुनः शीघ्रता से बनवाया जाए जिससे सुदूरवर्ती गांवों में खाद्यान्न पहुँचाया जा सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह पी.डब्ल्यू.डी. एवं सीमा सड़क संगठन को समुचित संसाधन उपलब्ध करवा निर्देशित करे कि वह सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लेकर उनका शीघ्रता से निर्माण संपन्न करे।

(चार) केरल में अंगमाली-सबरी रेल लाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की) : मैं केरल में अंगमाली-सबरी रेलवे लाइन को बिछाए जाने के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूँ। इस रेलवे लाइन के बिछाए जाने का कार्य पूरा किए जाने से पिछड़ा पहाड़ी क्षेत्र रेल सम्पर्क से जुड़ जाएगा तथा अवसंरचना विकास होगा। इसके अतिरिक्त लाखों सबरीमाला तीर्थयात्री इस लाइन से लाभान्वित होंगे। यद्यपि लाइन को बिछाए जाने का प्रस्ताव काफी पहले का है, लेकिन इस लाइन पर कार्य में काफी प्रगति नहीं हुई है। यह चिंता का विषय है कि इस लाइन के लिए बजट आवंटन प्रतिवर्ष घट रहा है। एर्नाकुलम जिले के लोग काफी समय से अपनी अधिगृहीत भूमि के एवज में मुआवजा राशि के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले चरण में भूस्वामियों को मुआवजे के लिए 153.91 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 1556 करोड़ रुपए है तथा रेलवे ने प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकार को 50% व्यय वहन करना चाहिए। राज्य सरकार परियोजना के 50% व्यय का वहन करने की स्थिति में नहीं है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि कार्य में तेजी लाने तथा बिना और विलम्ब के परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाए।

(पांच) अजमेर-एर्नाकुलम मरूसागर एक्सप्रेस ट्रेन में विषाक्त भोजन परोसने के लिए जिम्मेदार अभिकरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने और स्वास्थ्यकर भोजन की आपूर्त सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम) : यह समाचार प्राप्त हआ है कि 17 अगस्त, 2013 को अजमेर-एर्नाकुलम मरूसागर एक्सप्रेस में 50 से अधिक यात्री को भोजनयान से दिए गए खाद्य वस्तुओं को खाने के कारण खाद्य विषाक्तता हो गई। इनमें से कई यात्री पेट में दर्द, उल्टी तथा डायरिया के कारण पूरी तरह से बेबस हो गए और उन्हें दो अलग-अलग स्टेशनों पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खाद्य निरीक्षकों ने 18 अगस्त, 2013 को रेलगाड़ी के भोजनयान में जो देखा वह और भी भयानक था, क्योंकि खाद्य पदार्थ शौचालय के दरवाजे के पास रखे हुए थे तथा कीड़े-मकोड़ों एवं मक्खियों से भरे हुए सड़े हुए मांस के टुकड़े वहां पर पड़े हुए थे। यात्रियों के लिए बनाई गई चपातियां फर्श पर पड़ी हुई थीं। तीन वर्ष पूर्व उसी रेलगाड़ी में इसी प्रकार की घटना हुई।

केरल जाने वाले तथा केरल से अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को रेलगाड़ियों की संख्या में कमी तथा पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण रेल कोचों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता वाला होता है तथा भोजन की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम होती है। कम्बलों को कभी ड्रायक्लीन नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप संक्रामक रोग फैल रहे हैं। कई बार बेड शीट को सिर्फ अच्छे से तह लगाकर उन्हें पुनः उपयोग के लिए यात्रियों को दे दिया जाता है। लेकिन हमारी रेलगाड़ियों में तैयार किए गए तथा परोसे गए विषाक्त खाद्य पदार्थों को खाना अधिक भयप्रद तथा खतरनाक है। मरूसागर एक्सप्रेस में भोजन की व्यवस्था के लिए ठेका कोलकाता की एक निजी एजेंसी को दिया गया है।

रेलवे में खाद्य विषाक्तता तबसे काफी आम हो गई है जबसे रेलवे ने खाद्य की अपनी सीधी आपूर्ति को सीमित करने तथा यह कार्य निजी एजेंसियों को ठेका प्रणाली पर देने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय तथा यात्रियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर खान-पान प्रणाली की पुनर्संरचना करने की संसदीय समिति की वर्षों पुरानी सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है। आईआरसीटीसी स्वच्छ खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने के अपने कार्य को भली भांति नहीं कर रहा है। रेलवे को खान-पान ठेका से प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की आय हो रही है। इसके बावजूद यह वास्तव में दयनीय है कि यात्रियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भोजन की पर्याप्त मात्रा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मरूसागर एक्सप्रेस में खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि लापरवाही की इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। एजेंसी के लाइसेंस को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। रेलवे के बेस रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(छह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल संरक्षण योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर) : कृषि विकास के लिए सिंचाई की

अत्यंत आवश्यकता होती है। खेद के साथ मैं सरकार को सूचित करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में जल संरक्षण स्कीमों में केन्द्र स्तर से कोई भी राशि गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध नहीं हुई है जिसके कारण समय पर नहरों में पानी समय पर नहीं आ पाता है और नहरें कई-कई जगहों से टूटी हुई हैं जिसके कारण पानी नहर से निकलकर गरीब किसानों के खेत में पहुँचकर फसल को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर नहरों से समय पर पानी नहीं मिलने से किसान समय पर अपना बुआई कार्य एवं फसल कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जल एक राज्य का विषय है परंतु केन्द्र स्तर पर कार्यवाही तो की जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में त्वरित सिंचाई लाभान्वित कार्यक्रम एवं अन्य सिंचाई क्षेत्र के विकास कार्यों की कोई सूचना नहीं है। मेरे एक पत्र के उत्तर में जल संसाधन मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्र सरकार जिला स्तर पर आंकड़े नहीं रखती है। सवाल है कि जब जिला स्तर पर आंकड़े नहीं होंगे तब किस स्तर से जिला के सिंचाई विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में जल संरक्षण जैसी योजनाएं गत तीन साल में लागू क्यों नहीं की गई एवं केन्द्र स्तर पर जल संरक्षण की योजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में लागू की जाएं क्योंकि इस जिले के किसानों को जल संरक्षण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

(सात) गुजरात में मेहसाणा और तारंगा के बीच रेल लाइनों का आमान-परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : औद्योगिक विकास की दृष्टि से गुजरात राज्य भारत में सबसे अग्रिम स्थान पर है तथा जी.डी.पी. की दर सबसे अधिक है। गुजरात सरकार, औद्योगिक एवं अन्य संस्थाओं तथा पैसेंजर यूनियनों ने नई रेल लाइनें बनाने का सरकार से बार-बार पत्राचार द्वारा अनुरोध किया है। इन आवेदनों को संबंधित रेल डिविजनों को स्वीकृति हेतु भेजा जाता रहा है।

गुजरात सरकार ने रेल मंत्रालय को 17 रेल लाइनों का गेज रूपांतर शुरू करने तथा जहां रूपांतरण शुरू किया गया है, उसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु विनती की है। मुझे खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद मेहसाना-तारंगा रेल गेज रूपांतर आज तक नहीं किया गया है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में उचित कार्यवाही बिना विलंब शुरू करें।

(आठ) पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार में हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12523/24) का ठहराव दिये जाने आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर (बिहार) अंतर्गत हसनपुर रोड स्टेशन महत्त्वपूर्ण स्टेशनों में से है। यहाँ चीनी मिल भी है। बड़ी संख्या में हसनपुर रोड स्टेशन से रेल यात्री आते-जाते हैं। इस स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12523 एवं 12524 न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं रहने से रेल यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है।

अत: रेल मंत्री भारत सरकार हसनपुर रोड स्टेशन पर न्यू जलपाई गुड़ी एक्सप्रेस का ठहराव जनहित में दें।

(नौ) तमिलनाडु में सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए और अधिक केन्द्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर) : सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इस परीक्षा हेतु 4.5 लाख उम्मीदवार आवेदन करते है। भारतीय सिविल सेना भारत का आधारस्तंभ है और इसे काफी सम्मान प्राप्त है और इसमें महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निहित होती है। भारत के बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिकारी के रूप में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यद्यपि कार्पोरेट जगत की नौकरियों में अच्छा वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती लेकिन अधिकांश युवा और उनके माता-पिता अभी भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित सिविल सेवा में प्रवेश पाने हेतु जीतोड़ कोशिश करते हैं। यह निर्विवाद सत्य हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में शीर्ष पद विभिन्न संकायों के प्रोफेशनलों की झोली में आते हैं जो यह दर्शाता है कि भा.प्र.से. अभी भी कइयों के लिए स्वप्न साकार करने वाली नौकरी है।

पूरे देश में सेवा हेतु अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों में से 10% उम्मीदवार तमिलनाडु के होते हैं जो किसी भी राज्य से सर्वाधिक हैं।

इस वर्ष पूरे देश के विभिन्न भागों से प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले 4.5 लाख छात्रों में से अकेले तमिलनाडु से 27,000 छात्रों ने भाग लिया। इस परीक्षा में 50,000 छात्र मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए।

इन परिस्थितियों में मैं कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में सिविल सेवा परीक्षा हेतु केवल दो केन्द्र अर्थात चेन्नै और मदुरै में हैं।

गरीब और मध्यवर्गी छात्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु तमिलनाडु के दूरस्थ इलाकों से या तो मदुरै जाते हैं या चेन्नै जाते हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने हेतु तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरूचिरापल्ली जैसे और केन्द्र की व्यवस्था करें।

(दस) ओडिशा में कंधमाल जिले के विकास हेतु व्यापक योजना बनाए जाने तथा राज्य में बरहामपुर और फुलबनी के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने की भी आवश्यकता

श्री रूद्रमाधव राय (कंधमाल) : कंधमाल सामाजिक और आर्थिक रूप से एक सर्वाधिक पिछड़ा जिला है यह क्षेत्र नक्सल गतिविधियों के कारण सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है और यहां के आदिवासी सदैव आशंकित और भयभीत रहते हैं यह क्षेत्र वन और प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह समृद्ध है लेकिन उपलब्ध संसाधनों का विकास/उपयोग करने हेतु कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है जो आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार ला सके। इस क्षेत्र को 65 वर्ष की आजादी के बाद भी रेल लाइन से अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है। पर्यटन और वन से जुड़े उद्योगों का विकास करने हेतु गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए जिससे अतिवादी गतिविधियों को रोकना और ओडिशा के कंधमाल तथा समीपवर्ती जिलों में आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिल सके। इस रेलमार्ग पर प्राथमिकता के आधार पर रेल लाइन शुरू किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पिछड़े जिले के विकास हेतु विशेष विकास योजना और विशेष वित्तीय पैकेज लाए। बरहामपुर फुलबनी रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य 5 वर्षों पहले हो चुका है लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

(ग्यारह) बृज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले बृज पर्यटन सर्किट को विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : बृज में प्रतिवर्ष धार्मिक दृष्टि से देश-विदेश से कृष्ण भक्तों एवं पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। बृज के प्रमुख स्थान जैसे वृन्दावन, गोवर्धन, बरसाना, नन्दगांव, गोकुल तथा दाऊदी आदि लाखों लोगों की आस्था व विश्वास का केन्द्र है लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुविधाएं नहीं मिलने के कारण भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। बांके बिहारी मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं किंतु अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ रासलीला, बृज चौरासी कोस की परिक्रमा का आयोजन होता ही रहता है किंतु यदि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं तो और भी पर्यटकों का खिंचाव बृज की ओर होगा।

पर्यटन मंत्रालय ने धार्मिक और अध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के तहत सूफी, सिख और जैन सर्किटों की तर्ज पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बौद्ध देशों से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास की योजना बनाई है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सर्किटों की तरह बृज सर्किट की भी योजना बनाई जाए।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : हम अब मद संख्या-3 पर चर्चा करेंगे- श्री ऑस्कर फर्नांडिस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ

''कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशाधनों पर विचार किया जाए''

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''तिरसठवें'' शब्द के स्थान पर ''चौंसठवें'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, ''2012'' के स्थान पर, ''2013'' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए''

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''तिरसठवें'' शब्द के स्थान पर ''चौंसठवें'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, ''2012'' अंक के स्थान पर, ''2013'' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन 1 और 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''तिरसठवें'' शब्द के स्थान पर ''चौंसठवें'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, ''2012'' अंक के स्थान पर, ''2013'' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी अब यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि लोक सभा द्वारा यथा पारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :

''कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सर्वश्री ए. साई प्रताप, एन. कृष्टप्पा, अनंत वेंकटरामी रेड्डी, एच. राजगोपाल, एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, एम. वेणुगोपाल रेड्डी, के. नारायण राव, डॉ. एन. शिवप्रसाद और श्री के. बापीरराजू, मैं नियम 374क के अंतर्गत आपका नाम लेती हूँ।

आप सभी सभा परिसर से तत्काल बाहर चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपाह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अशोभनीय व्यवहार हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) **:** महोदय, बहुत सीरियस मैटर है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00½ बजे

इस समय, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरूणा कुमार वुंडावल्ली

...*(व्यवधान)*

श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद ...*(व्यवधान)* महोदय, यह एक बहुत गंभीर मुद्दे के बारे में है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अभी आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है, उसके बारे में बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)* आंध्र में जो हो रहा है, मैं वह आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)* आंध्र में जो रहा है, मैं उसे आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष की अनुमति से, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया सहयोग करें और यह समझें कि आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है...*(व्यवधान)* यह सभा का दायित्व है कि वह यह जाने कि आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.02 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी

सभा की सेवा में सदस्यों का निलंबन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप कृपया सभा से बाहर चले जाएं क्योंकि आपको सभा से निलंबित किया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने नियम 374 क का अवलंब लेते हुए इस सुबह पहले आपका नाम लिया और इस नियम के उपबंधों द्वारा आप सभा की सेवा से आज से लेकर पांच दिनों तक स्वतः निलंबित हो गए। इस प्रकार आप सभा के चैम्बर में प्रवेश नहीं कर सकते और नारे नहीं लगा सकते। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल सभा से बाहर चले जाएं और सभा का निर्बाध संचालन होने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मंगलवार 3 सितम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 3 सितम्बर, 2013/12 भाद्रपद, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

BLANK